

## तवा मत्स्य संघ

जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बाँधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गाँवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नयी जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दुबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम-धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अकसर गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

## Tawa Matsya Sangh

When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor. In urban areas too, *bastis* in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations.

लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत-से संगठन हैं, जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम 'तवा मत्स्य संघ' के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है।

This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country. People usually come together to fight against this. There are several organisations across the country fighting for the rights of the displaced. In this chapter we will read about the Tawa Matsya Sangh – a federation of Fisherworker's cooperatives – an organisation fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh.




छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत-सी कृषि भूमि भी बाँध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बाँध के आस-पास रहकर थोड़ी-बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा-सा कमा पाते थे।

Originating in the Mahadeo hills of Chindwara district, the Tawa flows through Betul, before joining the Narmada in Hoshangabad. The Tawa dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. It submerged large areas of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meagre farms found a livelihood in fishing. They earned very little.



नदी पर बाँध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे-जैसे उसमें पानी भरता है, ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बाँध की दीवार ऊँची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फ़ोटो उत्तराखंड में टिहरी बाँध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बाँध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गाँव जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए। लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए।



A dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. This forms a reservoir and as the water collects it submerges vast areas of land. This is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over a large area. This is a photo of the submergence caused by the Tehri dam in Uttarakhand. The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly one lakh people were displaced.

1994 में सरकार ने तवा बाँध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गाँव वालों को धमकियाँ देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गाँव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह 'तवा मत्स्य संघ' नाम के संगठन को बनाया गया।

In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. These contractors drove the local people away and got cheap labour from outside. The contractors began to threaten the villagers, who did not want to leave, by bringing in hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organisation and do something to protect their rights.

‘तवा मत्स्य संघ’ के संघर्ष का मुद्दा क्या था?

गाँव वालों ने यह संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की?

क्या आप सोचते हैं कि ‘तवा मत्स्य संघ’ की सफलता का कारण था, ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियाँ लिखिए।

What issue is the Tawa Matsya Sangh (TMS) fighting for?

Why did the villagers set up this organisation?

Do you think that the large-scale participation of villagers has contributed to the success of the TMS? Write two lines on why you think so.

नवगठित 'तवा मत्स्य संघ' (टी.एम.एस.) ने सरकार से माँग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाँध में मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह माँग करते हुए 'चक्का जाम' शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवनयापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने

The newly formed Tawa Matsya Sangh (TMS) organised rallies and a *chakka jam* (road blockade), demanding their right to continue fishing for their livelihood. In response to their protests, the government created a committee to assess the issue.



की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बाँध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। दो महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बाँध में मछली पकड़ने के लिए पाँच वर्ष का पट्टा (लीज़) देना स्वीकार कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए 'नया साल' सही अर्थों में आरंभ हुआ।

The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa dam the fishing rights for the reservoir. A five-year lease agreement was signed two months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch.

सबसे ऊपर-टी.एम.एस. के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए।  
ऊपर-सहकारी समिति की एक सदस्या मछली तोलती हुई।

*Top: Members of the TMS protesting at a rally. Above: A member of the cooperative weighing the fish.*



तवा मत्स्य संघ (टी.एम.एस.) के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुँचाना और वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में तीन गुना ज़्यादा

With the TMS taking over the fishworkers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price.

कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने 'जाल' खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ-साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिलें। टी.एम. एस. ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है, तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं।

They have now begun to earn three times more than they earned earlier. The TMS has also begun giving the fishworkers loans for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organisations get their rights to livelihood, they can be good managers.

क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो?

Can you think of an incident in your life in which one person or a group of people came together to change an unequal situation.

असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति



कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं, जैसे—नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अकसर ही कविताएँ, गीत और कहानियाँ न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं।

Creative expression against inequality



While some join protest movements to fight inequality, others might use their pen, or their voice, or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. Writers, singers, dancers and artists have also been very active in the fight against inequality. Often, poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation.

यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा 'सूचना के अधिकार' के अभियान में लिखा गया:

## जानने का हक

मेरे सपनों को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं

मेरे हाथों को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं

मेरे पैरों को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ गाँव-गाँव चलना पड़े है, क्यूँ बस का निशान नहीं

मेरी भूख को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी-भर धान अन्य नहीं

मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ गोली नहीं सुई, दवाखाने, पट्टी-टाँके का सामान नहीं

मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे...  
क्यूँ रात-दिन करें मजदूरी, क्यूँ शाला मेरे गाँव में नहीं

*Adaptation of a song written as part of the Right to Information campaign by Vinay Mahajan:*

## The Right To Know

*My dreams have the right to know  
Why for centuries they have been  
breaking  
Why don't they ever come true*

*My hands have the right to know  
Why do they remain without work all  
along  
Why do they have nothing to do*

*My feet have the right to know  
Why from village to village they walk  
on their own  
Why are there no signs of a bus yet*

*My hunger has the right to know  
Why grain rots in godowns  
While I don't even get a fistful of rice*

*My old mother has the right to know  
Why are there no medicines  
Needles, dispensaries or bandages*

*My children have the right to know  
Why do they labour day and night  
Why is there no school in sight*

उपर्युक्त गीत में से आपको कौन-सी पंक्ति प्रिय लगी?

'मेरी भूख को ये जानने का हक रे'  
इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है?

क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं, जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो?

What is your favourite line in the above song?

What does the poet mean when he says, "My hunger has the right to know"?

Can you share with your class a local song or a poem on dignity that is from your area?

## भारत का संविधान—एक जीता हुआ दस्तावेज़

न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज़ की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए।

## The Indian Constitution as a living document

The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognises the equality of all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. The fishworkers in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the Constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the Constitution they use it as a 'living document', i.e., something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues.

समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों (मीडिया) पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं।

Issues of equality are central to a democracy. In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. These, as you have read, include the privatisation of health services in the country, the increasing control that business houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalised communities, and therefore, concern economic and social equality in the country.

2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन-सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की माँग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है।

*Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judges. This people's jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases.*



लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

This is the core of the struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realised if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against.

समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है?

क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो?

What role does the Constitution play in people's struggles for equality?

Can you make up a social advertisement on equality? You can do this in small groups.

धन्यवाद